

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, चूरु

ब इजलास : श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

श्रवण खीचड़ पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी जान्दवा तहसील रतनगढ जिला चूरु
-वादी-

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब, चूरु

-प्रतिवादी-

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 86 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरू हमारे हाजरी श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदईब एवं पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारों की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है एवं वादगत कृषि भूमि ख.नं. 2328/123 तादादी 1.7199 हैक्टेयर रोही ग्राम चूरु तहसील चूरु में से वादी एवं प्रतिवादी का खाता विभाजन निम्नानुसार किया जाकर अलग खाता व लगान कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	ख.नं. मय आसापासा	तादादी	लगान
1.	श्रवण खीचड़ पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी जान्दवा तहसील रतनगढ खातेदार	2328/123 मी.	0.5059	-
2.	सिवाय चक	2328/123 मी. 2328/123 मी.	1.0983 0.1157	-
		किता-2	1.2140	-

तहसीलदार, चूरु को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने के निर्देश दिये जाते हैं।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक माह 01 दिसम्बर सन् 2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प आसलखेड़ी के आम में जारी की गई।

(राहुल सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु
चूरु